

आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार

खाता नं 95 के स्वामीदार की नाम संकटन हो नारु पुज औरथा जलत
 दर्ज ही गया जिसके स्थान पर तखान पदालेजी के अनुसार
 बाहर लिंहे पुज जोग राम शुद्ध विंग जना उक्ति है

प्रधान गावा
 श्रीमान जी, राज्य ग्राम - दानी विजारगिया
 (विजय सिंह पील)
 तह-गुडा गोंडजी (जिला)

क्रमांक : राजस्व / 2020 /

दिनांक - 18/10/20

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर विवेचन है कि आवेदन पत्र में वर्तमान आदेशक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आदेशक का नाम दुरुस्त किये जाने की अनिवार्यता की जाती है।

तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुडागोंडजी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला बुंदेल (राज.)

:- आदेश :-

दिनांक :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुडागोंडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 138 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुडागोंडजी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्बत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	दानी - विजारगिया	2075-78	95	नारु पुज औरथा	बाहर लिंहे पुज जोग राम

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी
 दिनांक :- 18-10-

क्रमांक :- राजस्व / 2020 / 110-111
 तिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुडागोंडजी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी / प्रार्थीया को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी